



Contact: +91-7353013499
Email: getsupport@oxyzo.in
Website: www.oxyzo.in

ऑक्सीज़ो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड
(पूर्व में ऑक्सीज़ो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
(कंपनी या ऑक्सीज़ो)

ब्याज दर नीति

समीक्षा एवं अनुमोदन प्राधिकारी

प्राधिकारी	पदनाम
तैयारकर्ता	ऋण परिचालन विभाग
समीक्षाकर्ता	आस्ति देयता समिति
अनुमोदनकर्ता	निदेशक मंडल

संस्करण इतिहास

संस्करण	जारी करने की तिथि	संक्षिप्त विवरण
1.0	23-10-2018	सृजन
2.0	16-09-2019	जून 2019 में कंपनी की स्थिति NDSI के रूप में परिवर्तित होने के अनुसरण में किए गए परिवर्तन
3.0	20-04-2021	ब्याज दर और जोखिम श्रेणीकरण में परिवर्तन तथा कुछ अन्य स्वरूपगत परिवर्तन
3.1	15.02.2023	परिचालन समिति द्वारा समीक्षा की गई
3.2	23.05.2023	निदेशक मंडल द्वारा संज्ञान में लिया गया
3.3	09.11.2023	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित
4.0	12.08.2026	निदेशक मंडल द्वारा समीक्षित एवं अनुमोदित

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने परिपत्र सं. DNBS.PD/CC.No.95 /03.05.002 /200607 दिनांक 24 मई, 2007 के माध्यम से NBFCs के बोर्डों को ब्याज दरों तथा प्रसंस्करण एवं अन्य प्रभारों के निर्धारण हेतु उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएँ निर्धारित करने की सलाह दी थी।

उपर्युक्त परिपत्र के क्रम में, RBI ने अपने परिपत्र DNBS.204/CGM (ASR)-2009 दिनांक 2 जनवरी, 2009 के माध्यम से NBFCs को निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं, जिसके बाद नवीनतम परिपत्र DoR.MCS.REC.28/01.01.001/2023-24 दिनांक 18 अगस्त, 2023 जारी किया गया है:

प्रत्येक NBFC का बोर्ड निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाएगा तथा ऋणों और अग्रिमों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर निर्धारित करेगा। ब्याज दर, जोखिम श्रेणीकरण का दृष्टिकोण तथा उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से अलग-अलग ब्याज दर प्रभारित करने का औचित्य आवेदन पत्र में उधारकर्ता या ग्राहक को प्रकट किया जाएगा तथा स्वीकृति पत्र / मुख्य तथ्य विवरण (KFS) में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

उपर्युक्त RBI विनियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन में, ऑक्सीज़ो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड ने यह ब्याज दर नीति अपनाई है, जिसमें ब्याज दर मॉडल और जोखिम श्रेणीकरण दृष्टिकोण की व्यापक रूपरेखा दी गई है। इस नीति को सदैव RBI के दिशानिर्देशों, निदेशों, परिपत्रों और अनुदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

चूँकि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ब्याज दर नीति की, अपने आप में, समीक्षा और अनुमोदन किए हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए हमने मौजूदा ब्याज दर नीति पर पुनर्विचार किया है और उसमें उपयुक्त परिवर्तन किए हैं। संशोधित नीति समीक्षा और अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

3. ब्याज दर निर्धारण पद्धति

आस्ति देयता समिति (ALCO) विभिन्न वित्तीय, जोखिम-आधारित और परिचालन कारकों पर समुचित विचार करने के बाद ग्राहकों से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दरें निर्धारित करती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख घटकों को ध्यान में रखा जाता है:

i. निधियों/पूंजी की भारित औसत लागत

कंपनी बैंक सावधि ऋण, अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs), वाणिज्यिक पत्र और गौण ऋण आदि विभिन्न लिखतों के माध्यम से निधियाँ जुटाती है। ऋण वित्तपोषण के अतिरिक्त, कंपनी की पूंजी संरचना में इक्विटी भी शामिल है, और पूंजी की भारित औसत लागत (WACC) की गणना करते समय इक्विटी की लागत पर विचार किया जाता है।

उधारियों की भारित औसत लागत की गणना निम्नलिखित को ध्यान में रखने के बाद की जाती है:

- उधारियों की अवधि
- प्रचलित बाज़ार तरलता
- पुनर्वित्त के विकल्प



- निधियाँ जुटाने और उनकी सर्विसिंग से संबंधित आनुषंगिक लागतें

निधियों की समग्र लागत निर्धारित करने के लिए ऋण पूंजी की लागत और इक्विटी पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल, दोनों ही अभिन्न अंग हैं।

ii. तरलता निवेशों पर नकारात्मक कैरी

तरलता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी तरलता जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित HQLAs नामक तरल लिखतों में निवेश करके तरलता बफ़र बनाए रखती है। इन निवेशों पर प्रतिफल सामान्यतः उधार की लागत से कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक कैरी की स्थिति बनती है, जिसे ब्याज दर निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है।

iii. परिचालन लागतें

परिचालन व्यय में व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक सभी नियत और परिवर्ती लागतें शामिल हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- कर्मचारी लागत
- शाखा स्तर के परिचालन व्यय
- बिक्री और विपणन लागत
- प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना व्यय
- ग्राहक जुटाने (सोर्सिंग), ग्राहक सेवा और वसूली से संबंधित लागतें

इन लागतों को विभिन्न उत्पादों में आनुपातिक रूप से आवंटित किया जा सकता है और मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों में शामिल किया जा सकता है।

iv. ALM असंतुलन लागत

कंपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों प्रकार की उधारियों के माध्यम से निधियाँ जुटाती है। विनियामक आस्ति देयता प्रबंधन (ALM) मानदंडों का अनुपालन करने के लिए, कंपनी के लिए निर्धारित सहनशीलता सीमाओं के भीतर अंतरालों (गैप) का प्रबंधन करना अनिवार्य है। ये अंतराल, ग्राहकों के पूर्व-भुगतान व्यवहार के साथ मिलकर, अतिरिक्त लागतें उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाता है।

v. ऋण/चूक जोखिम प्रीमियम

जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत ऋण और चूक जोखिम प्रीमियम की गणना प्रत्येक मामले के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार की जाती है:

- ग्राहक की साख और चुकौती क्षमता
- संपार्श्विक की प्रकृति और मूल्य (यदि कोई हो)
- ग्राहक की समग्र जोखिम प्रोफ़ाइल
- उद्योग-विशिष्ट जोखिम कारक

इससे यह सुनिश्चित होता है कि मूल्य निर्धारण प्रत्येक ग्राहक से जुड़े अंतर्निहित ऋण जोखिम को दर्शाए।



vi. आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल (ROA)

कंपनी का लक्ष्य सामान्य व्यावसायिक परिस्थितियों में 3-4% का अपेक्षित ROA प्राप्त करना है। तथापि, यह दायरा रणनीतिक व्यावसायिक विचारों या असाधारण बाज़ार परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। स्थिरता और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिफल की इस अपेक्षा को मूल्य निर्धारण में शामिल किया गया है।

4. ब्याज दर मॉडल और जोखिम श्रेणीकरण

➤ प्रदान की जाने वाली ब्याज दरें नियत (फ़िक्स्ड) दर या परिवर्ती (फ्लोटिंग) दर के आधार पर हो सकती हैं।

➤ नियत दरें

वर्तमान में, ऋण स्वीकृत करते समय ग्राहकों से प्रभारित की जाने वाली वार्षिक ब्याज दर* नीचे उल्लिखित दायरे में होगी (इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क):

ऋण आस्तियाँ/क्षेत्र	ब्याज दर का दायरा
असुरक्षित क्रय वित्तपोषण	15% से 21%
सुरक्षित क्रय वित्तपोषण	13% से 18%
मशीनरी ऋण	11% से 16%
व्यवसाय ऋण	16% से 22%
संपत्ति के बदले ऋण	12% से 16%
सह-उधार/ चैनल भागीदार	20% से 35%
अन्य ऋण	15% से 35%

➤ परिवर्ती / फ्लोटिंग ब्याज दर

परिवर्ती ब्याज दर, जो प्रत्येक मामले के आधार पर OBLR (ऑक्सीज़ो आधार उधार दर) को ध्यान में रखते हुए उस पर स्प्रेड जोड़कर निर्धारित की जाती है।

प्रत्येक मामले के आधार पर, कंपनी की वाणिज्यिक समिति उपर्युक्त ब्याज दर दायरे की निचली सीमा से कम दर पर ऋण अनुमोदित कर सकती है।

- कंपनी प्रत्येक ग्राहक/संभावित उधारकर्ता के जोखिम श्रेणीकरण हेतु एक संरचित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक ग्राहक की ऋण प्रोफ़ाइल विशिष्ट होती है। यह जोखिम-आधारित दृष्टिकोण उधारकर्ता की जोखिम विशेषताओं के आधार पर उपर्युक्त मूल्य निर्धारण रणनीति तय करने में सहायता करता है।
- एक विभेदक मूल्य निर्धारण मॉडल लागू किया जाता है, जिसमें आकलित ऋण जोखिम के आधार पर आधार उधार दर में लागत प्रीमियम जोड़ा जाता है या छूट दी जाती है। अंतिम उधार दर का निर्धारण निम्नलिखित प्रमुख मापदंडों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है:



Contact: +91-7353013499
Email: getsupport@oxyzo.in
Website: www.oxyzo.in

ग्राहक संबंधी विशेषताएँ	व्यवसाय की व्यवहार्यता	आस्ति / संपार्श्विक की विशेषताएँ	ऋण संबंधी विशेषताएँ
उधारकर्ता की प्रोफ़ाइल और खंड	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति और पैमाना	संपार्श्विक/प्रतिभूति का प्रकार और स्थिति	ऋण-मूल्य अनुपात (LTV)
कंपनी के साथ संबंध की अवधि और गहराई	संबंधित व्यवसाय में अनुभव के वर्ष	आस्ति की आयु और उपयोग का पैटर्न	ऋण की अवधि
चुकौती इतिहास और क्रेडिट ब्यूरो स्कोर (जैसे, CIBIL स्कोर)	पिछली और अनुमानित लाभप्रदता	बाज़ार मूल्य और मूल्यहास की प्रवृत्तियाँ	ऋण की संरचना (नियत/परिवर्ती)
आय के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत	अपेक्षित नकदी प्रवाह और उनकी मौसमी प्रवृत्ति / लाभप्रदता	आस्ति का स्थान और विधिक स्वामित्व	प्रतिभूति कवर, यदि कोई हो
भूमि या संपत्ति का स्वामित्व, उद्योग श्रेणी	दीर्घकालिक व्यावसायिक स्थिरता को प्रभावित करने वाला कोई अतिरिक्त कारक		
भौगोलिक स्थान			
ऋण प्रबंधक द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अन्य प्रासंगिक मापदंड			

उपर्युक्त प्रमुख मूल्यांकन मापदंड मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों के प्राथमिक आधार हैं। तथापि, ये मापदंड संपूर्ण नहीं हैं। समिति उधारकर्ता की विशिष्ट प्रकृति, उद्योग की गतिशीलता, बाज़ार की परिस्थितियों या किसी उभरते जोखिम के आधार पर अतिरिक्त गुणात्मक या मात्रात्मक कारकों पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि उधार दर का निर्धारण विवेकपूर्ण होने के साथ-साथ अनुकूलित भी रहे और उसमें उधारकर्ता की समग्र ऋण प्रोफ़ाइल की व्यापक समझ परिलक्षित हो। ऐसे अतिरिक्त विचारणीय बिंदुओं में उधारकर्ता का आचरण, विनियामक घटनाक्रम, पिछला चुकौती व्यवहार, संकेद्रण जोखिम और पोर्टफोलियो के लिए रणनीतिक महत्व शामिल हो सकते हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, ब्याज दर का निर्धारण उत्पादों और स्वयं ग्राहक में अंतर्निहित ऋण एवं चूक जोखिम के आधार पर भी किया जाएगा, जो ग्राहक खंड, ग्राहकों की प्रोफ़ाइल, आय की स्थिरता, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों की प्रकृति और मूल्य, ग्राहकों के पिछले चुकौती रिकॉर्ड, ग्राहकों की बाह्य रेटिंग, उद्योग की प्रवृत्तियों आदि से उत्पन्न होता है।
- एक ही समयावधि में विभिन्न उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए एक ही उत्पाद और एक ही ऋण अवधि के लिए ब्याज दर का मानकीकृत होना आवश्यक नहीं है।
- ब्याज दरें नियत या परिवर्ती आधार पर प्रदान की जाएँगी। परिवर्ती ब्याज दरों के मामले में, संदर्भ दरों, अर्थात् 3 माह की परिवर्ती, 6 माह की परिवर्ती और 12 माह की परिवर्ती दर की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और संशोधित ब्याज दरों की सूचना ग्राहकों को दी जाएगी।



Contact: +91-7353013499
Email: getsupport@oxyzo.in
Website: www.oxyzo.in

- लागू OBLR संदर्भ दरें कंपनी की वेबसाइट पर समय-समय पर प्रदर्शित और अद्यतन की जाएँगी।
- कंपनी प्रत्येक मामले के आधार पर, जोखिम प्रोफाइल, श्रेणी, उद्योग खंड और संबंधित वार्ताओं के अनुसार, ग्राहकों से परिवर्ती दरों के ऊपर स्प्रेड प्रभारित कर सकती है या उन पर छूट दे सकती है।
- ब्याज में परिवर्तन की सूचना ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार, उपयुक्त समझे गए तरीके से ग्राहकों को दी जाएगी। ब्याज में कोई भी संशोधन भावी प्रभाव से, अर्थात् केवल परिवर्तन की तिथि से आगे के लिए, लागू होगा।
- चरणबद्ध संवितरण के मामले में, ब्याज दर समीक्षा के अधीन होगी और यह संवितरण के समय प्रचलित दर के अनुसार या कंपनी द्वारा जैसा निर्णय लिया जाए, उसके अनुसार भिन्न हो सकती है।

ऋण राशि, वार्षिक ब्याज दर, ऋण की अवधि और किस्तों का विभाजन ग्राहक को स्वीकृति पत्र/ KFS में सूचित किया जाएगा।

सामान्य ब्याज के अतिरिक्त, ऑक्सीज़ो तदर्थ सुविधाओं के लिए अतिरिक्त ब्याज तथा किसी भी देय राशि के भुगतान में किसी भी विलंब या चूक के लिए दंडात्मक प्रभार/चूक प्रभार लगा सकती है। दंडात्मक प्रभारों का विवरण ऋण करार / स्वीकृति पत्र / KFS में मोटे अक्षरों में उल्लिखित किया जाएगा।

ब्याज के अतिरिक्त, ऑक्सीज़ो द्वारा जहाँ भी आवश्यक समझा जाए, अन्य वित्तीय प्रभार, जैसे प्रसंस्करण प्रभार, सेवा प्रभार, बाउंस प्रभार, पूर्व-भुगतान प्रभार, प्रतिबद्धता शुल्क तथा विभिन्न अन्य सेवाओं, जैसे बेबाकी प्रमाणपत्र (नो ड्यू सर्टिफिकेट), अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), आस्तियों/प्रतिभूति पर भार (चार्ज) मुक्त करने संबंधी पत्र आदि जारी करने पर प्रभार, लगाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा अन्य कर, लेवी या उपकर समय-समय पर लागू दरों पर वसूल किए जाएँगे।

प्रभारों/ दंडात्मक प्रभारों/ अतिरिक्त प्रभारों/ ब्याज की वापसी या छूट के दावों से संबंधित ऐसे अनुरोधों, यदि कोई हों, पर निर्णय लेना ऑक्सीज़ो के एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर है।

5. ब्याज का प्रभारण

RBI के निदेशों के अनुरूप तथा ब्याज प्रभारित करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ऑक्सीज़ो द्वारा निम्नलिखित प्रथाएँ अपनाई जाएँगी:

a. ब्याज प्रभारित करने की प्रारंभ तिथि

ऑक्सीज़ो यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण की स्वीकृति की तिथि या ऋण करार के निष्पादन की तिथि से ब्याज प्रभारित न किया जाए। ब्याज केवल ग्राहक के खाते में निधियों के वास्तविक संवितरण की तिथि से ही प्रभारित किया जाएगा।

b. आंशिक अवधियों के लिए आनुपातिक (प्रो-राटा) ब्याज

जिन मामलों में ऋणों का संवितरण या चुकौती महीने के दौरान होती है, उनमें ऑक्सीज़ो केवल उस वास्तविक अवधि के लिए ब्याज प्रभारित करेगी जिसके लिए ऋण बकाया था, न कि पूरे महीने के लिए।

c. अग्रिम किस्त लेने से परहेज़

ऑक्सीज़ो ब्याज प्रभारित करने के लिए पूरी ऋण राशि को आधार मानते हुए, एक या अधिक किस्तें अग्रिम रूप से वसूल करने की प्रथा का पालन नहीं करेगी।



 **Contact:** +91-7353013499
 **Email:** getsupport@oxyzo.in
 **Website:** www.oxyzo.in

6. समीक्षा / संशोधन

- कंपनी की आस्ति देयता प्रबंधन समिति, आवश्यकता होने पर, समय-समय पर OBLR में संशोधन करने तथा प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रभारित किए जाने वाले ब्याज का निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है।
- इस नीति की समीक्षा आवधिक आधार पर, जब भी सांविधिक अपेक्षा हो या प्रबंधन का निर्णय हो, की जाएगी, और आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा कम अंतराल पर भी की जा सकती है। विधिक और विनियामक परिवर्तनों के कारण अपेक्षित परिवर्तनों को छोड़कर, नीति में कोई भी परिवर्तन बोर्ड/ प्रबंधन समिति के अनुमोदन से किया जाएगा।

7. वेबसाइट पर सामग्री

इस ब्याज दर नीति के संबंध में उचित प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा।
